This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020 / 6 मार्गशीर्ष, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 नवम्बर, 2020

संख्याः एच.एस.जी–ए(3)–6 / 2020.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर एवं ग्राम योजना विभाग की अधिसूचना संख्याः टी.सी.पी.–ए (3)–1 / 2016 लूज तारीख

28–09–2017 द्वारा अधिसूचित और तारीख 7–10–2017 को राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भू–सम्पदा (विकास और विनियम) नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–सम्पदा (विकास और विनियम) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम–राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 22 का प्रतिस्थापन.––हिमाचल प्रदेश भू–सम्पदा (विकास और विनियम) नियम, 2017 के नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''22. ब्याज, शास्ति और प्रतिकर की वसूली और न्यायनिर्णयन अधिकारी या प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण के आदेश, निदेश या विनिश्चय का प्रवर्तन–(1) देय रकम की वसूली जैसे ब्याज, शास्ति या प्रतिकर लागू स्थानीय विधियों के अधीन उपबन्धित रीति में भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(2) भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन अधिकारी, प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश किया गया प्रत्येक निदेश या किया गया प्रत्येक विनिश्चय, न्यायनिर्णयन अधिकारी या प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण द्वारा उसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा और यह, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन अधिकारी या प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण को ऐसे आदेश, निदेश या विनिश्चय को निष्पादित करने में असफलता की दशा में ऐसे आदेश, निदेश या विनिश्चय को सिविल न्यायालय, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में भू–सम्पदा परियोजना अवस्थित है या उस सिविल न्यायालय को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वह व्यक्ति वास्तविक रूप से या स्वैच्छया निवास करता है या कारवार कर रहा है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा है, जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया जाना है, निदेश दिया जाना है या विनिश्चय किया जाना है, को, ऐसा आदेश, निदेश या विनिश्चय भेजना विधिपूर्ण होगा।''।

मानों कि यह किसी सिविल न्यायालय में लम्बित किसी वाद में पारित की गई कोई डिक्री किया गया कोई आदेश, दिया गया कोई निदेश या दिया गया कोई विनिश्यच था।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
(अक्षय सूद),
सचिव (आवास)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. HSG-A (3)-6/2020 dated 25th November, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 25*th November*, 2020

No. HSG-A (3)-6/2020.—In exercise of the powers conferred by section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Act No. 16 of 2016), the Governor, Himachal

Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 notified *vide* Town and Country Planning Department Notification No. TCP-A(3)-1/2016- loose dated 28-9-2017 and published in the Official Gazette of Himachal Pradesh on 07-10-2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Amendment Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh.

2. Substitution of rule 22.—(1) For rule 22 of the Himachal Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017, the following shall be substituted, namely:—

"22. Recovery of interest, penalty and compensation and enforcement of order, direction or decision of Adjudicating Officer or the Authority or the Appellate Tribunal." (1) The recovery of the amounts due such as interest, penalty or compensation shall be recovered as arrears of land revenue in the manner provided under applicable local laws.

(2) Every order, direction or decision passed/made by the Adjudicating Officer or the Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 or rules and regulations made there under, shall be enforced by the Adjudicating Officer or the Authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or an order, direction or decision passed/made by a Civil Court in a suit pending therein, and it shall be lawful for the Adjudicating Officer or the Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, direction or decision, to send such order, direction or decision to the Civil Court within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located to execute such order, direction or decision or to the Civil Court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order, direction or decision is being issued, actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain".

By order,

Sd/-
(AKSHAY SOOD),
Secretary (Housing).

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 मई, 2020

संख्याः पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 90 / 2010–1.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव आंजी तहसील व जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में राजगढ़ सोलन बाईपास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।